

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

संचिका सं०-०४/कृ०के०यो०(PDMC)-०३/२०२४ -११३

/कृ०, रांची, दिनांक-१५-०१-२०२५

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी०,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
झारखण्ड, राँची।

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष २०२४-२५ में केन्द्रीय प्रायोजित RKVY अन्तर्गत Per Drop More Crop उपयोजना अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई कार्य हेतु केन्द्रांश रु. ७०५.०० लाख, अनिवार्य राज्यांश रु. ४६९.९९ लाख एवं अतिरिक्त राज्यांश रु. ७४७.७३ लाख इस प्रकार कुल रु. १९२२.७२ लाख (उनीस करोड़ बाईस लाख बहत्तर हजार रुपये) मात्र आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-२४ दिनांक-२०.०६.२०२४, आवंटनादेश सं-३९ दिनांक-२५.०६.२०२४, ६४ दिनांक-०८.०८.२०२४ एवं शुद्धि-पत्र सं०-७० दिनांक-१९.०९.२०२४

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष २०२४-२५ में केन्द्रीय प्रायोजित RKVY अन्तर्गत Per Drop More Crop उपयोजना अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई कार्य हेतु केन्द्रांश रु. ७०५.०० लाख, अनिवार्य राज्यांश रु. ४६९.९९ लाख एवं अतिरिक्त राज्यांश रु. ७४७.७३ लाख इस प्रकार कुल रु. १९२२.७२ लाख (उनीस करोड़ बाईस लाख बहत्तर हजार रुपये) मात्र आवंटित की जाती है।

- यह आवंटन वर्तमान वित्तीय वर्ष २०२४-२५ में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-१-११/२०२४-RKVY दिनांक-१४.११.२०२४ के द्वारा इस योजना हेतु द्वितीय किस्त स्वरूप विमुक्त केन्द्रांश रु. ७५०.०० लाख तथा उपलब्ध बजट के आलोक में प्रदान किया जा रहा है।
- आवंटित राशि निम्न तालिका के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष २०२४-२५ में संगत बजटशीर्ष में उपबंधित राशि के अंतर्गत विकलनीय होगी :-

(राशि लाख रु० में)

क्र०	बजटशीर्ष	स्वीकृत राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
१	मुख्यशीर्ष-२४०१-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-७९६-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष-AG-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उपयोजना शीर्ष-०२-प्रति बूंद अधिक फसल, विस्तृतशीर्ष-०६-अनुदान, ५२-सबसिडी ०१C२४०१००७९६AG०२०६५२ ५२-सबसिडी ०१S२४०१००७९६AG०२०६५२ ५२-सबसिडी ०१X२४०१००७९६AG०२०६५२	७८७.०० ५२४.६७ ८३४.७०	१९६.०० १३०.६६ २०७.८८	१९७.०० १३१.३३ २०८.९४	३९३.०० २६१.९९ ४१६.८२

2	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, उपशीर्ष-AG-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उपयोजना शीर्ष-02-प्रति बूंद अधिक फसल, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी 01C240100109AG020652	1851.00	463.00	463.00	926.00
	52-सबसिडी 01S240100109AG020652	1234.00	308.66	308.67	617.33
	52-सबसिडी 01X240100109AG020652	1963.18	491.06	491.06	982.12
3	मुख्यशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-AG-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उपयोजना शीर्ष-02-प्रति बूंद अधिक फसल, विस्तृतशीर्ष-06-अनुदान, 52-सबसिडी 01C240100789AG020652	362.00	317.00	45.00	362.00
	52-सबसिडी 01S240100789AG020652	241.33	211.34	29.99	241.33
	52-सबसिडी 01X240100789AG020652	383.94	336.21	47.73	383.94
कुल योग		8181.82	2661.81	1922.72	4584.53

(उनीस करोड़ बाईस लाख बहत्तर हजार रुपये) मात्र।

- आवंटित राशि की निकासी हेतु कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 से भारत सरकार के द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राशि की विमुक्ति हेतु SNA SPARSH model की प्रक्रिया आरम्भ की गयी है। प्रासंगिक योजना के तहत नयी प्रक्रिया को अपनाते हुए स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा संसूचित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभागीय परिपत्र-2561 दिनांक-17.04.1998, 118 दिनांक-12.01.2007 के साथ-साथ अन्य सभी सुसंगत वित्तीय एवं कोषागार नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- राशि की अनियमित निकासी/व्यय एवं विचलन तथा योजना का दोहरीकरण होने पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- आवंटित राशि का व्यय भारत सरकार की योजना मार्गदर्शिका, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-1-11/2024-RKVY दिनांक-14.11.2024 में निहित शर्तों/अनुदेशों का पालन करते हुए तथा इस संबंध में State Level Steering Committee (SLSC) की दिनांक-21.03.2024 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित प्रस्ताव/कार्य योजना के अनुरूप किया जायेगा। साथ ही सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
- योजना के कार्यान्वयन में राशि का व्यय वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा, जो स्वीकृत राशि के अंतर्गत होगा। राशि का विचलन किसी अन्य कार्य में नहीं किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र/प्रत्यर्पण प्रतिवेदन विभाग को निश्चित रूप से समर्पित करना होगा। व्यय से संबंधित संपूर्ण लेखा का संधारण कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची द्वारा किया जायेगा तथा अंकेक्षण दल से तत्संबंधी अंकेक्षण कराते समय उसे अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराया जायेगा।

1/10/24

10/10/24

10. आवंटित राशि के व्यय के पश्चात विस्तृत व्यय विवरणी एवं योजना कार्यान्वयन प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन-पदाधिकारी द्वारा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड को उपलब्ध कराया जायेगा।
11. प्रसंगाधीन स्वीकृत्यादेश सं०-24 दिनांक-20.06.2024 में सन्निहित समस्त शर्तों एवं निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा संबंधित नियंत्री पदाधिकारी का होगा।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ०के०यो०(PDMC)-03/2024 - 113

/कृ०, रांची, दिनांक...15-01-2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/संबंधित उपायुक्त, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उपकोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ०के०यो०(PDMC)-03/2024 - 113

/कृ०, रांची, दिनांक...15-01-2025

प्रतिलिपि: कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची को मूल प्रति के अलावा आवंटनादेश की प्रति उनके ई-मेल आईडी०-directoragriculturejh@gmail.com पर भेजी जा रही है तथा विभागीय वेबसाईट www.jharkhand.gov.in पर अपलोड की जा रही है।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ०के०यो०(PDMC)-03/2024 - 113

/कृ०, रांची, दिनांक...15-01-2025

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/सांख्यिकी कोषांग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/कृषि निदेशक, झारखण्ड, रांची/सभी संयुक्त कृषि निदेशक, झारखण्ड/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी-सह-जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, झारखण्ड/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/योजना शाखा-4, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Agriculture Di

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 04/KKY-03/2024/113

दिनांक - 16-Jan-2025

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	C 01 240100109AG020652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 109 - विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण AG - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 02-प्रति बूंद अधिक फसल 06 - अनुदान Central Scheme State Scheme : PRADHAN MANTRI KRISHI SINCHAYEE YOJANA(1292) Central Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA (RKVY)(9145)	82258	RNCACH028 ASEEM PRIYA AIND DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING 52 - सबसिडी	46,300,000.00 रुपये चार करोड तीरसठ लाख
2	S 01 240100109AG020652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 109 - विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण AG - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 02-प्रति बूंद अधिक फसल 06 - अनुदान Central Scheme (State Share) State Scheme : PRADHAN MANTRI KRISHI SINCHAYEE YOJANA(1292) Central Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA (RKVY)(9145)	82267	RNCACH028 ASEEM PRIYA AIND DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING 52 - सबसिडी	30,867,000.00 रुपये तीन करोड आठ लाख सदसठ हजार
3	X 01 240100109AG020652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 109 - विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण AG - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 02-प्रति बूंद अधिक फसल 06 - अनुदान Central Scheme (State Share) State Scheme : PRADHAN MANTRI KRISHI SINCHAYEE YOJANA(1292) Central Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA (RKVY)(9145)	82299	RNCACH028 ASEEM PRIYA AIND DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING 52 - सबसिडी	49,106,000.00 रुपये चार करोड इनकानवे लाख छः हजार
योग:				126,273,000.00
क्रमिक योग:				रुपये बारह करोड बासठ लाख तीहत्तर हजार

(KUMAR TARACHAND)

DIRECTOR OF AGRICULTURE

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	C 01 240100789AG020652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना AG - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 02-प्रति बूंद अधिक फसल 06 - अन्दान Central Scheme	82261	RNCACH028 ASEEM PRIYA AIND DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING 52 - सबसिडी	4,500,000.00 रुपये पैतालीस लाख
	State Scheme : PRADHAN MANTRI KRISHI SINCHAYEE YOJANA(1292) Central Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA (RKVY)(9145)			
5	S 01 240100789AG020652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना AG - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 02-प्रति बूंद अधिक फसल 06 - अन्दान Central Scheme (State Share)	82270	RNCACH028 ASEEM PRIYA AIND DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING 52 - सबसिडी	2,999,000.00 रुपये उन्तीस लाख निन्नानवे हजार
	State Scheme : PRADHAN MANTRI KRISHI SINCHAYEE YOJANA(1292) Central Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA (RKVY)(9145)			
6	X 01 240100789AG020652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना AG - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 02-प्रति बूंद अधिक फसल 06 - अन्दान Central Scheme (State Share)	82301	RNCACH028 ASEEM PRIYA AIND DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING 52 - सबसिडी	4,773,000.00 रुपये सैतालीस लाख तीहत्तर हजार
	State Scheme : PRADHAN MANTRI KRISHI SINCHAYEE YOJANA(1292) Central Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA (RKVY)(9145)			
योग:	रुपये तेरह करोड पिचयासी लाख पैतालीस हजार			12,272,000.00
क्रमिक योग:				138,545,000.00
		(KUMAR TARACHAND) DIRECTOR OF AGRICULTURE		

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	C 01 240100796AG020652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना AG - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 02-प्रति बूंद अधिक फसल 06 - अनुदान Central Scheme	82253	RNCACH028 ASEEM PRIYA AIND DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING 52 - सबसिडी	19,700,000.00 रुपये एक करोड सित्तानवे लाख
	State Scheme : PRADHAN MANTRI KRISHI SINCHAYEE YOJANA(1292) Central Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA (RKVY)(9145)			
8	S 01 240100796AG020652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना AG - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 02-प्रति बूंद अधिक फसल 06 - अनुदान Central Scheme (State Share)	82263	RNCACH028 ASEEM PRIYA AIND DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING 52 - सबसिडी	13,133,000.00 रुपये एक करोड इक्कीस लाख तेलीस हजार
	State Scheme : PRADHAN MANTRI KRISHI SINCHAYEE YOJANA(1292) Central Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA (RKVY)(9145)			
9	X 01 240100796AG020652 2401 - फसल कृषि-कर्म 00 - फसल कृषि-कर्म 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना AG - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 02-प्रति बूंद अधिक फसल 06 - अनुदान Central Scheme (State Share)	82273	RNCACH028 ASEEM PRIYA AIND DY. DIRECTOR AGRI. ENGINEERING 52 - सबसिडी	20,894,000.00 रुपये दो करोड आठ लाख चौरानवे हजार
	State Scheme : PRADHAN MANTRI KRISHI SINCHAYEE YOJANA(1292) Central Scheme : RASHTRIYA KRISHI VIKAS YOJANA (RKVY)(9145)			
योग:	रुपये उन्नीस करोड बाइस लाख बहत्तर हजार			53,727,000.00
क्रमिक योग:				192,272,000.00
		(KUMAR TARACHAND) DIRECTOR OF AGRICULTURE		